RNI No. UPHIN/2015/63486
खबर न्याय अन्याय की...
ज़िद भ्रष्टाचार उजागर करने की...
Postal Reg. No. GPOLW/NP-117/2021-23
www.judgementaajtak.com

जजमेंट आजतक

वर्ष 12, सहयोग राशि-यथाशक्ति | सम्पादक: अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट | विशेषांक | जनवरी-फरवरी 2025 लखनऊ अंक-LVII

खरी-खरी

सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद है।
हमारी कोशिश है ये सूरत कभी न बदले।।

मित्रों, चौंकिए मत, दुष्यंत की लाइनों में सिर्फ आज के नेताओं का चरित्र चित्रण करने के लिए थोड़ा तरमीम किया है।

क्या आजादी सिर्फ 15 अगस्त को स्कूलों, दफ्तरों में झंडा ऊँचा रहे हमारा गाने के लिए और मिठायी खाने के लिए ली गयी या इसका उद्देश्य कुछ और था आखिर हमने अंग्रेजों को अपना भाग्यविधाता मानते रहने से क्यों इनकार किया और जिन्हें अपना भाग्यविधाता बनाया उन्होंने किसका भाग्य बनाया? ये सारे सवाल संवेदनाशून्य नेताओं के लिए शब्द मात्र हैं लेकिन संवेदनशील नागरिकों के मन, विचार व हृदय को अन्दर तक झकझोर देते हैं।

देश कानून से चलता है लेकिन हमारे देश के जिन सदनों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है वे औचित्यहीन हो गये हैं उनका कोई मतलब नहीं रह गया है अब सदनों में नीतियां अपने फायदे, अपनो को फायदा पहुचाने वालों के लिए बनती हैं उदाहरणार्थ जब पहली संसद की शुरूआत 1952 में हुई थी तब सांसदो को वेतन नहीं मिलता था, सांसदों को सदन की बैठक के तीन दिन पहले और तीन दिन बाद 21/- प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलता था और आने जाने के लिए रेल में प्रथम श्रेणी की सुविधा। उस समय अधिकांश बहस कानून बनाने के लिए होती थी। वेतन की व्यवस्था 1954 से शुरू हुई जो बिल्कुल नाम मात्र की थी। आज जो व्यवस्था है उसको तो कभी सपने में भी नहीं सोचा गया था। लक्ष्य भी अब सेवा नहीं स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति है। जहां तक कानून बनाने एवम् जन समस्याओं के निराकरण की बात है वह औसतन 5 प्रतिशत रह गयी है।

आज सदनों का व्यवहार मछली मंडी से भी बद्तर हो गया है जिस तरह का नजारा सदन में देखने को मिलता है, लात जूता, गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ इसकी कल्पना तो शायद आजादी का संघर्ष करने वाले ने, संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं की होगी। सदनों से शून्य प्रहर, प्रश्न प्रहर लगभग गायब ही हो गये हैं जिनमें जनता से संबंधित कार्य होते थे। जनहित का कानून बनाना अब इन सदनों के बूते की बात नहीं रह गयी है। अल्पमत गठबंधन या साधारण बहुमत की सरकारों को छोड़ भी दे तो यह देखा जा रहा है कि प्रचण्ड बहुमत (2/3 से अधिक) वाली सरकारें भी राष्ट्रहित का सक्षम कानून बनाने मे अक्षम व असफल साबित हो रही है। नेताओं के अन्दर से नैतिकता गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गयी है। वेतन भत्ते लेकर काम न करना देश के साथ गद्दारी है। यदि नेताओं को जनता की इतनी ही चिन्ता है तो बिना सदन के हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये बिना वेतन भत्ते लिए सदनों का बहिष्कार करें। नेताओं के चाल चरित्र चेहरे में 99 प्रतिशत समानता है फर्क सिर्फ एक प्रतिशत है वह भी सिर्फ सत्ता व विपक्ष का। सदन का वर्तमान अवरोध जनता की नहीं बल्कि अपनी परेशानी के लिए है क्योंकि अधिकांश नेता जनता के ही नाम पर देश को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अब उसी भ्रष्टाचार से बचने की चिंता है क्योंकि जिन नेताओं के सड़क पर निकलने से पहले आम जनता को दो-दो घंटे रोक कर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है आज उसके लाइन में खड़े होने पर घड़ियाली आंसू बहा रहें हैं। जरूरत है कि बिना काम के सदन पर बर्बाद होने वाले पैसे की भरपाई इनके वेतन, भत्ते, पेंशन से काट कर की जाये। क्योंकि यह जनता की मेहनत की कमाई है हराम की नहीं।

कोलैजियम व्यवस्था ध्वस्त

वादकारी त्रस्त, वकील पस्त, जजेज व्यस्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजेज पर काम का भारी बोझ बढ़ा

160 के सापेक्ष मात्र 78 जज; 82 पद रिक्त

❍अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

कुपोषण का शिकार कोई भी तंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता है। न्यायपालिका देश की सबसे उपेक्षित संस्था है जिस पर लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व है लेकिन रही सही कसर स्वयं न्यायपालिका ने पूरी कर दी है। देश के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उसके न्यायमूर्तियों की नियुक्ति मेघालय, सिक्कम व त्रिपुरा को छोड़कर कहीं भी पूरी क्षमता पर नहीं है जिसका प्रभाव वादों के निपटारे पर पड़ रहा है। मुकदमों के त्वरित पिटारे के लिए सरकार नीतियां बना रही है। इसके लिए अन्य चीजों के साथ जजों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है लेकिन खाली पड़े पदों को भरने की रफ्तार अब भी कछुए की चाल चल रही है। एक जनवरी 2025 के आंकड़ों के

मुताबिक देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1122 पद स्वीकृत हैं लेकिन काम मात्र 751 न्यायाधीश ही कर रहे हैं 371 पद रिक्त थे जिनकी संख्या आज की तिथी में और बढ़ गयी है। हाई कोर्ट में लाखों मुकदमें लंबित हैं।

आज की तिथि में सबसे ज्यादा रिक्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। यहां 160 पद के विरूद्ध 82 पद रिक्त हैं। जिला अदालतों पर अगर निगाह डाली जाए तो वहां कई करोड़ मुकदमें लंबित हैं और न्यायाधीशों के ये आंकड़े सरकार की ओर से संसद में लिखित जवाब में दिए गए हैं। जजों के खाली पदों को भरने के बावत सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि तय प्रक्रिया के मुताबिक उच्च न्यायालय में नियुक्ति की

शेष पेज 2—3 पर जारी.....

इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

'दुसरे को सगुनी सगुन बतावैं...'

उ0प्र0 के एक कुख्यात माफिया के पुत्र की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवायी करने में देरी से व्यथित मा0 उच्चतम न्यायालय ने देश के उच्च न्यायालयों विशेषकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ध्वस्त लिस्टिंग एवं सुनवाई व्यवस्था पर जो टिप्पणी की है वह शत्प्रतिशत सही है लेकिन देश का शीर्ष न्यायालय इस टिप्पणी से बचकर निकल गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस दुर्वव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है?

देश में न्यायपालिका वादकारियों के लिए बनायी गयी है न कि वकीलों, जजेज या अधिकारियों के लिए आज वादकारी सबसे अधिक उपेक्षित हैं।

अहम सवाल यह है कि इस ध्वस्त व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? उच्च न्यायालय में आधे से ज्यादा जजेज के पद क्यों खाली हैं। 160 जजेज का काम मात्र 78 जज क्यों कर रहे हैं? इनमें भी औसतन 5 से 7 जज किसी न किसी कारण से कोर्ट होल्ड नहीं करते मतलब केवल 72 जज ही काम करते हैं।

कोर्ट का समय 5 घंटे यानि कि 300 मिनट है, यहां कुछ कोर्ट में तो 200-300 मुकदमे एक-एक दिन में सूचीबद्ध हो जाते हैं लेकिन क्या एक या डेढ मिनट में केस की सुनावई हो सकती है? इतना समय तो फाइल खोलने और शुरू करने में लग जाता है।

मा0 उच्चतम न्यायालय को यह

तय करने में 16 वर्ष लग गए कि मुकदमों की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। मायावती का सरकारी धन का दुरूपयोग के केस की पी0आई0एल0 जो 2009 में दाखिल हुई थी उसे अब 2025 में यह कहते हुए निरस्त किया गया कि सुनवाई योग्य नहीं है। आखिर उन 16 वर्षों का हिसाब कौन देगा?

जब 82 जजेज के पद रिक्त है तो सिर्फ 1 नाम की सिफारिश क्यों? उस एक नाम में क्या 'विशेष' है?❑

वादकारी त्रस्त, वकील पस्त, जजेज व्यस्त...

न्यायतंत्र के कार्यक्रम का कोई भी फोरम हो आगाज लंबित वादों से होकर उसी पर आकर उसका समापन होता है और बात सस्ता सुलभ और शीघ्र न्याय की होती है। सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात यह होती है कि संविधान के तीनो अंगों विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के संवैधानिक पदों पर विराजमान माननीयगण जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जब डायस पर बोलते है तो ऐसा लगता है कि यदि इनके वश में होता तो अभी ये सब व्यवस्था कर देते जबकि असलियत यही है कि इनकी ही अकर्मण्यता, अक्षमता, अदूरदर्शिता व सवेंदनहीनता के कारण आज यह स्थिति हुई है।

Statement showing the Approved strength, Working Strength and Vacancies of Judges in the Supreme Court of India and the High Courts (As on 01.01.2025)

Sl. No.	Name of the Court	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacancies
B.	High Court	Total	Total	Total
1	Allahabad	160	80	80
2	Andhra Pradesh	37	28	9
3	Bombay	94	67	27
4	Calcutta	72	43	29
5	Chhattisgarh	22	16	6
6	Delhi	60	35	25
7	Gauhati	30	24	6
8	Gujarat	52	32	20
9	Himachal Pradesh	17	12	5
10	J & K and Ladakh	25	15	10
11	Jharkhand	25	17	08
12	Karnataka	62	50	12
13	Kerala	47	45	2
14	Madhya Pradesh	53	34	19
15	Madras	75	66	9
16	Manipur	05	04	1
17	Meghalaya	04	04	0
18	Orissa	33	19	14
19	Patna	53	35	18
20	Punjab& Haryana	85	51	34
21	Rajasthan	50	32	18
22	Sikkim	03	03	0
23	Telangana	42	27	15
24	Tripura	05	05	0
25	Uttarakhand	11	07	4
	Total	1122	751	371

प्रक्रिया संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शुरू होती है और सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश से। सरकार रिक्तियां भरने के लिए मुख्य न्यायाधीश को समय-समय पर याद दिलाती रहती है।

निचली अदालतों की रिक्तियों के बारे में भी संबंधित उच्च न्यायालय व सरकार को याद दिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि मुकदमों के त्वरित निपटारा न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में आता है हालांकि सरकार ढांचागत संसाधन बढ़ाकर उसे सुचारू करने की कोशिश करती है लेकिन जजेज के अभाव में कैसे होगा नहीं बताते।

वैसे तो देश का पूरा का पूरा न्यायतंत्र ही कुपोषण का शिकार है लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत सबसे खराब है। अधीनस्थ न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक जजों, अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी है। कोर्ट रूम, आफिस तथा रिकार्ड रूम की संख्या की कमी तो इतनी अधिक हो गयी है कि सुचारू रूप से कार्य करना मुश्किल हो रहा है। आजादी के बाद न्यायतंत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान न देना आज वादकारियों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है।

सरकारों की ओर से जो कमी है वह तो है ही, रही सही कसर न्यायालय प्रशासन ने पूरी कर दी है। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूरे देश में सबसे अधिक जजेज के पद रिक्त हैं। पिछले काफी समय से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए जजेज के 160 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायाधीश सहित मात्र 78 जज काम कर रहे हैं। यह तथ्य समझ से परे हैं कि जब पद भी है सरकार सुविधाएं भी दे रही है तो न्यायमूर्तियों की नियुक्ति में क्या बाधा है? जजेज की नियुक्ति न होना अब चिन्ता का विषय हो गया है क्योंकि न्यायमूर्तियों की संख्या लगातार घट रही है तथा मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण त्वरित न्याय मिलने में बाधा भी उत्पन्न हो रही है तथा न्याय की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।

उच्च न्यायालय में लाखों मामले निबटारे के लिए लंबित हैं तथा उनको निबटाने के लिए 160 जजों की आवश्यकता बहुत पहले आंकी गयी थी अब 160 की जगह मात्र 78 जज काम कर रहे हैं यानि कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रतिदिन औसतन 45 प्रतिशत जजेज ही कार्य कर रहे हैं। इन नियुक्तियों के न होने के कारण कार्यरत न्यायमूर्तिगण पर भी काम का भारी बोझ बढ़ गया है 160 जज का काम 78 जजेज को करना पड़ रहा है जिसके कारण अधिकांश तो देर तक बैठकर अपना कार्य निष्पादित करते हैं। नियुक्ति न होने के दो ही कारण समझ में आतें हैं यह कि या तो योग्य पात्र नहीं मिल रहे हैं या कम्पैटेविलिटी / स्वीटीनिलिटी नहीं हो पा रही है।

शेष पेज 3 पर जारी..

वादकारी त्रस्त, वकील पस्त, जजेज व्यस्त...

कारण जो भी है इसके लिए जिम्मेदारों के विरूद्ध इसे न्याय में बाधा मानकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

सरकार, विधिमंत्रालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक सभी Huge Pendency (विचाराधीन मुकदमों) की बात तो खूब करते हैं लेकिन इनको निपटाने के लिए अपनी भूमिका को कभी नहीं देखते।

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस बात पर खिंचाई की थी कि जिस केस को ट्रायल कोर्ट ने 2 वर्ष में निर्णीत कर दिया उसको निर्णीत करने में उच्च न्यायालय ने 30 वर्ष लगा दिए। अक्सर अखबारों में इस तरह की देर अंधेर की खबरें छपती रहती हैं।

अब एक अहम प्रश्न है कि देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तियों की इतनी कमी के बावजूद इतने-इतने समय नियुक्ति न होने पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कदम उठाए? विधिमंत्रालय ने इस समस्या के निराकरण के लिए क्या किया? आज विधिमंत्रालय या मुख्य न्यायाधीश को भले ही इसकी चिन्ता न हो लेकिन यहाँ के अधिवक्ताओं को इसकी चिन्ता है।

उच्च न्यायालय में जजेज की नियुक्तियां न होने का एक प्रमुख कारण पात्रों के नामों पर सहमति न बन पाना है क्योंकि सहमति योग्यता पर नहीं होनी है बल्कि खेमों की लायॅल्टी पर है। यह बात समझ से परे है कि आपस की असहमति का खामियाजा वादकारी क्यों भुगत रहा है? देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा ने कहा था न्याय आवश्यक सेवा है तो उससे जनता को वंचित क्यों किया जा रहा है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है उसमें भी उत्तर प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। न्यायालय में किसानो के राजस्व/दीवानी के बहुत सारे मुकदमें लम्बे समय से पेन्डिग है जिसके कारण गरीबों/किसानों को त्वरित न्याय देने की दलीलें खोखली साबित होरही हैं।

अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही है फर्क सिंफ इतना है कि वहाँ नियुक्ति सरकार को करनी है। आज सरकारों को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है तो वादकारी तो सिर्फ एक हिस्सा है उसका।

उच्च न्यायालय में कर्मचारियों के सैकड़ों पद स्वीकृत हैं लेकिन उदासीनता के चलते आजतक नहीं भरे जा सके हैं जिसके कारण न्याय बाधित हो रहा है।

वक्त आ गया है कि इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार लोग घाड़ियाली आँसू बहाना बन्द करके ठोस कार्य योजना बनाकर सबसे पहले नियुक्तियाँ करें।

वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायतंत्र को उसकी समस्त आधारभूत आवश्यकताओं, जजेज व अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति, कोर्ट रूम, रिकार्ड रूम वकीलों के बैठने की व्यवस्था, वादकारियों के लिए कोर्ट परिसर में मूलभूत (पानी, बैठने, मूत्रालय) सुवधिाओं की स्थापना करके न्याय की धुरी को मजबूत किया जाय। जन सामान्य के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायपालिका का सशक्त होना अत्यन्त आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में जजेज की नियुक्ति पारदर्शिता के आभाव में शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, जब सरकार करती थी तब भी और अब जब कोलेजियम करती है तब भी, कभी-कभी तो ये सवाल साफ झलकने लगते हैं जैसे जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजेज के 82 पर रिक्त है तो सिर्फ एक जज की नियुक्ति की सिपारिश कोलेजियम द्वारा क्यों की गयी?

जब नियुक्ति की तिथि को ही रिटायरमेण्ट की तिथि निश्चित हो जाती है तो पहले से नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जाती है। आज तक के इतिहास में यह उच्च न्यायालय कभी भी अपनी पूर्ण क्षमता पर काम कर पाया लेकिन इसके पीछे क्या कारण है आजतक समझ में नहीं आया। ❑

कतन्ना -शब्दवेधी

- ☐ पुलिस और नगर निगम मिलकर हटाएंगे अतिक्रमण -न्यूज
- ♦ कभी नहीं। यही तो दोनो की कमाई का जरिया है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे?
- ☐ अतिक्रमण हटाने में पुलिस मदद नहीं करती -महापौर, लखनऊ
- ♦ कोई अपने पेट पर लात मारता है क्या?
- ☐ भाजपा-कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे-बट्टे, अपनी-अपनी गलतियों से लोगों का ध्यान भटकाने में जुटे हैं दोनों दल -मायावती, बसपा
- ♦ आप दोनों दलों के साथ गलबहियां कर चुकी हैं तब आप क्या थी, चट्टा, बट्टा या कुछ और?
- ☐ भारतीयों के साथ मजाक भाजपा की गारंटी, उतना ही वादा कीजिए जितना पूरा कर सकें। -मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष
- ♦ कितने बौखल हो भई! जो आपकी पार्टी ने गारंटी दी वह क्या है? अब क्या आपको यह आत्मज्ञान हिमांचल और कर्नाटक की अपनी सरकारों का हश्र देखने के बाद हुआ।
- ☐ देश में दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित -रिपोर्ट
- ♦ क्यों कि देश के सबसे बदबूदार बड़े कचरे (नेता) वहीं रहते हैं न इसलिए।
- ☐ सड़कों में गड़बड़ी मिली तो जेई से लेकर चीफ तक होंगे जवाबदेह -मुख्यमंत्री योगी
- ♦ माल उड़ायेंगे नेता मंत्री जवाबदेही सिर्फ इंजीनियरों की।
- ☐ कई साधू अब नेता बन गये हैं और वे गेरूआ वस्त्र पहनकर समाज में नफरत फैला रहे है लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। -खरगे
- ♦ क्यों जब चोर, डकैत, व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, खद्दरधारी नेता बने तब मुंह में दही जमी थी।
- ☐ मेरी मां बहन व परिवार वालों को जलाकर मार दिया गया लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता -मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष
- ♦ क्योंकि नाम बता दोगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे।
- ☐ मुफ्त चीजें कबतक -सुप्रीम कोर्ट का सरकारों से सवाल
- ♦ जबतक सत्ता चाहिए तबतक, वैसे आपने ही तो मिडडे मिल का आदेश दिया था वह भी तो यही है।
- ☐ अपराध से जुटायी गयी सम्पत्तियां पीड़ितों में बटेंगी- नेता का बयान
- ♦ तब तो अधिकांश नेताओं और अफसरों की सम्पत्तियों जनता में बांटनी पड़ेगी।
- ☐ नकारे गये लोग चाहते है संसद पर कंट्रोल -प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी
- ♦ इसमें गलत क्या है? जब जनता द्वारा नकारे गये लोगों को उच्च सदन (राज्य सभा व विधान परिषद) में आप लोग लाते हैं तो वह क्या है?
- ☐ जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी -केशव प्रसाद मौर्या
- ♦ तो मंत्री क्या लूटपाट और अय्याशी के लिए हैं?
- ☐ मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर दूर पार्क रोड पर फिर उफनाया सीवर -खबर
- ♦ ये सीवर नहीं जनाब, नगर निगम का नाला सफाई भ्रष्टाचार उफना रहा है।
- ☐ मंदिरों में 'वी0आई0पी0' दशर्न सरकार का नीतिगत मामला -सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
- ♦ क्योंकि इसी व्यवस्था से माननीय भी दर्शन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

यौन उत्पीड़न में पीड़िता को शारीरिक चोट लगना महत्वपूर्ण नहीं

❍अर्चना सिंह, एडवोकेट

यौन उत्पीड़न साबित करने के लिए पीड़िता को शारीरिक चोट लगना या शोर मचाना महत्वपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने कहा, यह एक आम मिथक है कि यौन उत्पीड़न के बाद चोट लगना स्वाभाविक है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, ऐसे मामलों में एक समान प्रतिक्रिया की उम्मीद करना यथार्थवादी और न्यायसंगत नहीं है।

पीठ ने कहा, पीड़ित व्यक्ति आघात के प्रति विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं जो डर, सदमे, सामाजिक कलंक या असहायता की भावनाओं जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। यौन उत्पीड़न से जुड़ा कलंक अक्सर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करता है, जिससे उनके लिए दूसरों के सामने घटना का खुलासा करना मुश्किल हो जाता है। पीठ ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक (2023) का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि अलग-अलग लोग दर्दनाक घटनाओं पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं।

पीठ ने कहा, हैंडबुक में एक उदाहरण दिया गया है कि माता-पिता की मृत्यु के कारण एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से रो सकता है, जबकि संभव है कि उसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कोई भावना प्रदर्शित न करे।

इसी तरह, किसी पुरूष की ओर से यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म किए जाने पर महिला की प्रतिक्रिया उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। ऐसे में पीड़ित या पीड़िता की प्रतिक्रिया पता करने का कोई भी सही या उचित तरीका नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए पीठ ने आरोपी को अपहरण के आरोप से भी बरी कर दिया।❑

अदालतों का अन्याय

25 साल जेल में रहा 'नाबालिग'

❍डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के देहरादून में 1994 में सेवानिवृत्त कर्नल, उनके बेटे और बहन की हत्या के दोषी को 25 साल की कैद के बाद रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि वारदात के समय वह 14 साल का किशोर था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने बुधवार को कहा, हर स्तर पर अदालतों ने दस्तावेज की अनदेखी करके अन्याय किया है। यह देखते हुए कि न्यायालय की ओर से की गई गलती किसी व्यक्ति के उचित लाभ के आड़े नहीं आ सकती, पीठ ने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा, पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत उसकी सजा रद्द कर दी। पीठ ने कहा, न्याय सत्य की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं। यह सत्य है, जो हर किसी कार्य से परे है। न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य तथ्यों के नीचे छिपे सत्य को उजागर करने का प्रयास करना है। इस तरह, न्यायालय सत्य की खोज करने वाला इंजन है, जिसके उपकरण प्रक्रियात्मक व मूल कानून हैं।

पीठ ने कहा, अपीलकर्ता ने अशिक्षित होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट से लेकर इस अदालत के समक्ष सुधारात्मक याचिका के निष्कर्ष तक किसी न किसी तरह से यह दलील उठाई। मुकदमेबाजी के पहले दौर में अदालतों के दृष्टिकोण को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इस मामले में अपीलकर्ता को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी और उसकी समीक्षा व क्यूरेटिव याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि 8 मई, 2012 को जारी राष्ट्रपति के आदेश के तहत, मृत्युदंड को इस शर्त के साथ उम्रकैद में बदल दिया था कि उसे 60 वर्ष की आयु तक रिहा नहीं किया जाएगा।❑

काउन्टर-रिज्वाइन्डर

❍ प्रचेता

बंटी– पान की दुकान पर मसाला खा कर थूकते हुए, ये देश न सुधरेगा?

बबली– तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो कुछ काम क्यों नहीं करते। दिनभर निठल्लों की तरह बेरोजगार घूमते रहते हो कुछ कमाते घमाते क्यों नहीं?

बंटी– पान, मसाले की पीक दीवार पर थूकते हुए–मेरी मर्जी

बबली– तेरी शादी हो गयी है?

बंटी– हो गयी।

बबली– कैसे हो गयी कुछ कमाता धमाता तो है नहीं।

बंटी– श्रमकार्ड से मुख्यमंत्री आदर्श विवाह योजना से 30,000/– और अर्न्तजातीय कन्याधन योजना से रू0 2,50,000/– मिलता है।

बबली– बाल बच्चे हैं?

बंटी– हां हैं।

बबली– तो उनके लिए कमाओ।

बंटी– जननी सुरक्षा योजना से डिलेवरी फ्री साथ में 1500/– का चेक और श्रम कार्ड से भगिनी प्रसूति योजना से 20,000/– रूपये मिल गये।

बबली– तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कमाओ।

बंटी– इसके लिए तो पढ़ाई यूनीफार्म किताबें और भोजन तो सरकर की तरफ से फ्री, श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री नौनिहाल और मेधावी छात्रवृत्ति योजना से हर साल पैसे और जब लड़का कालेज जायेगा तो बीपीएल सूची में होने के कारण फ्री एडमिशन और स्कालरशिप भी मिलेगी तो टेंशन काहे का।

बबली– तुम्हारा घर कैसे चलता है?

बंटी– छोटी लड़की को अभी सरकार से साइकिल मिली है लड़के को लैपटाप मिला है। मां–बाप को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और 1/– में पूरे महीने भर का चावल मिलता है।

बबली– झुंझलाकर, अरे तो मां–बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कमाओ।

बंटी– मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से भेज दिया है।

बबली– कम से कम दवा, इलाज के लिए कमाओ।

बंटी– आयुष्मान कार्ड है न फ्री में पांच लाख तक का इलाज।

बबली– अरे तो मां–बाप के मरने के बाद जलाने के लिए ही कमाओ।

बंटी– 1/– में विद्युत शवदाह गृह है न।

बबली– हद करते हो अरे बाप हो अपने बच्चों की शादी के लिए तो कमाओ।

बंटी– मुस्कराते हुए मैडम फिर वही सवाल आ गये, वैसे ही होगी जैसे मेरी हुइ। तुम जैसे लाखों लोग काम करके टैक्स भर रहे हो हमारे लिए, और किसान खेती में मेहनत करके अनाज पैदा करता है और सरकार उसे खरीद कर वोट के लिए हमे मुफ्त में देती है तो फिर हम काम क्यों करें?

बबली– जबतक ये खोखला भ्रष्ट लोकतंत्र रहेगा तेरे जैसे मुफ्तखोर सरकारे पैदा करती रहेंगी।

बंटी– अरे आप क्यों परेशान हो रहीं हैं, मेरी सुख शांति आपसे देखी नही जाती आपने सुना नहीं है क्या– 'अजगर करे न चाकरी पंक्षी करे न काम। दस मलूका कह गए सबके दाता राम।।

बबली– वो मलूका भी तेरी तरह रहा होगा, वरना अजगर, पंक्षी सब मेहनत करते हैं तेरी तरह, निठल्ले नहीं घूमते।

मां-बाप की उपेक्षा मंहगी पड़ेगी

○विवेक भूषण गुप्ता, एडवोकेट

सामाजिक मूल्यों के क्षरण का एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें संबंधों की नैतिकता का ह्रास बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रायः यह समाचार देखने सुनने को मिलता है कि बच्चों ने अपने मां बाप को घर से निकाल दिया या वृद्धावस्था में उनकी सेवा न करके उनको दयनीय स्थिति में छोड़ दिया है। इस गिरी हुई मानसिकतता पर रोक लगाने एवं वृद्धजनो की देखभाल के लिए सरकार को Maintenance and Welfare of Parants and Senior citizens Act बनाना पड़ा और उसमें यह व्यवस्था की गयी कि उनकी धन सम्पदा लेकर उनको तिरस्कृत करने वालों की सम्पत्ति छीन कर दुबारा उनको दे दी जायेगी।

समय-समय पर उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय ने इस पर महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था देकर उसको और सुदृढ़ करने का कार्य किया है जिसका सबसे ताजा उदाहरण उच्चतम न्यायालय का निर्णय उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील सरन दीक्षित है।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील उर्मिला दीक्षित ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ के दो सदस्यीय खण्ड पीठ के निर्णय के विरूद्ध योजित की थी। ज्ञात हो कि अपीलार्थी उर्मिला दीक्षित जो प्रतिवादी सुनील सरन दीक्षित की मां है ने अपनी सम्पत्ति अपने पुत्र को 07.09.2019 को दान विलेख करके इस आशय से दे दिया कि वह उनकी सेवा करेगा पुत्र सुनील ने उसी दिन 07.09.2019 को एक प्रोमेजरी नोट निष्पादित करके कहा कि वह उनकी आजीवन देखभाल करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल हुआ तो मां दान विलेख वापस ले लेने के लिए स्वतंत्र होगी जिसको अब वह उस वचन पत्र (च्तवउपेवतल छवजम) को कूटरचित बता रहा है।

पुत्र से उपेक्षित अपीलार्थी मां उर्मिला दीक्षित ने Maintenance and Welfare of the Parents and Senior Citizens Act, 2007 (MWPSC Act) की धारा 23 के अन्तर्गत सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट छतरपुर के समक्ष 24.12.2020 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि उनके लड़के (प्रतिवादी सुनील) ने उनपर और उनके पति पर हमला किया कि 'हम' बाकी सम्पत्ति का भी अन्तरण उसके पक्ष में करें और अब उनके बीच में प्रेम सौहार्द पूरी तरह से समाप्त हो गया है इसलिए जो दान विलेख मैंने पहले प्रतिवादी पुत्र के पक्ष में निष्पादित किया था उसे निरस्त कर दिया जाय। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दान विलेख को शून्य घोषित कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी पुत्र की अपील भी 25.04.2022 को निरस्त हो गयी।

इसके बाद प्रतिवादी पुत्र ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ में एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका योजित की, जहां से उक्त रिट याचिका यह कहते हुए खारिज हुई कि याची (प्रतिवादी पुत्र) ने याचिका क्लीन हैंड्स से नहीं दाखिल की है और अपने माता-पिता जो वरिष्ठ नागरिक हैं की देखभाल करने में विफल रहा है। नीचे की अदालतों के निर्णय सुविचारित एवं कानून सम्मत हैं। एकल पीठ के निर्णय को रिट अपील (दो सदस्यीय पीठ) के समक्ष एकल पीठ के निर्णय के विरूद्ध दाखिल की जिसे दो सदस्यीय खण्ड पीठ ने कुछ तकनीकी आधार पर स्वीकार करते हुए एकल पीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध सिविल अपील संख्या 10927 ऑफ 2024 उच्च तम न्यायालय के समक्ष दाखिल हुई थी।

उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार एवं न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कानून की मंशा एवं उसके प्राविधानों की सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए पिछले लगभग 10 निर्णयों के आलोक में इस वृद्ध मां की अपील को बेटे के विरूद्ध निर्णीत करते हुए लिखा "....24. Before parting with the case at hand, we must clarify the observations made vide the impugned order qua the competency of the Tribunal to hand over possession of the property. In **S. Vanitha** (supra), this Court observed that Tribunals under the Act may order eviction if it is necessary and expedient to ensure the protection of the senior citizen. Therefore, it cannot be said that the Tribunals constituted under the Act, while exercising jurisdiction under Section 23, cannot order possession to be transferred. This would defeat the purpose and object of the Act, which is to provide speedy, simple and inexpensive remedies for the elderly.

25. Another observation of the High Court that must be clarified, is Section 23 being a standalone provision of the Act. In our considered view, the relief available to senior citizens under Section 23 is intrinsically linked with the statement of objects and reasons of the Act, that elderly citizens of our country, in some cases, are not being looked after. It is directly in furtherance of the objectives of the Act and empowers senior citizens to secure their rights promptly when they transfer a property subject to the condition of being maintained by the transferee.

26. In view of the above, the impugned judgment and order with the particulars as described in paragraph one of this judgment, is set aside. Consequently, the Gift Deed dated 07.09.2019 is quashed. In the attending facts and circumstances of this case, the Appeal is allowed. Possession of the premises shall be restored to the Appellant by 28.02.2025."

इस केस को निर्णीत करते समय पीठ ने Beneficial Legislation के संदर्भ से देखते हुए Brahmpal v. National Insurance Company (2021) 6 SCC 512, K.H. Nazar v. Mathew K. Jacob (2020) 14 SCC 126, Kozyflex Mattresses (P) Ltd. v. SBI General Insurance Co. Ltd. (2024) 7 SCC 140, X2 v. State (NCT of Delhi) (2023) 9 SCC 433, S. Vanitha v. Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District and Ors (2021) 15 SCC 730, Vijaya Manohar Arbat Dr v.Kashirao Rajaram Sawai and Anr (1987) 2 SCC 278, Badshah v.Urmila Badshah Godse and Anr (2014) 1 SCC 188, Rajnesh v. Neha and Another (2021) 2 SCC 324, Ashwani Kumar v. Union of India (2019) 2 SCC 636, का विवेचन किया।

बूढ़े असहाय मां-बाप / वरिष्ठ नागरिकों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय उन संतानो / व्यक्तियों के मुंह पर तमाचा है जो सम्पत्ति लेने तक तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं (यद्यपि कि होते नही है) और सम्पत्ति मिलते ही उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं।❑

ईरान के सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की हत्या

❍दीपक तिवारी, एडवोकेट

ईरान में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों जज कथित तौर पर 1988 में सरकार और व्यवस्था से असहमति रखने वालों को सामूहिक तौर पर फांसी देने के मामलों भी शामिल थे। हमलावर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों पर गोलियां चलाने के बाद खुद को गोली मार ली।

हमले में न्यायाधीश का बाडीगार्ड भी घायल हो गया। मरने वालों में न्यायाधीश मौलवी मोहम्मद मोगीसेह और अली रजिनी शामिल हैं। दोनों जज कठोर सजा देने के लिए जाने जाते थे। हत्या का मकसद अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमलावर का सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं था। हालांकि, ईरान की न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने कहा कि शूटर ने अदालत में काम किया था।

1988 के मामले से जुड़े होने को लेकर रजिनी पर पहले भी हमला बोला गया था। जनवरी 1999 में तेहरान में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनके वाहन पर विस्फोटक फेंका था, जिसमें वह घायल हो गए थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से मोगीसेह पर 2019 से प्रतिबंध भी लगाया गया था। उन्होंने कई पत्रकारों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को लंबी सजाएं सुनाई थीं।❑

भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया गया

❍डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन लखनऊ हाई कोर्ट के महामना सभागार में ध्यान सेवा संस्थान के तत्वाधान में मनाया गया। ध्यान सेवा संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका पाल सिंह एडवोकेट, संरक्षक गिरधारी लाल यादव एडवोकेट, सदस्य धर्मवीर सोलंकी एडवोकेट, संयोजक सदस्य ज्योति राजपूत, योगेंद्र नाथ यादव एडवोकेट, मणि यादव एडवोकेट, संजय श्रीवास्तव एडवोकेट और सभी सम्मानित अधिवक्तागण ने अपने विचार रखें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ हाई कोर्ट अवधबार के अध्यक्ष रिपु दमनशाही, विशिष्ट अतिथि महासचिव मनोज कुमार द्विवेदी थे। ध्यान सेवा संस्थान विगत 17 वर्षों से सामाजिक कार्यों को कर रही है ध्यान सेवा संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका पाल के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें अवध बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखें।❑

पद संभालते ही ट्रंप ने 78 कानून खत्म किए

वाशिंगटन, रायटर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए है। अपने वादों को निभाते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर पहले ही दिन कई कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कई आदेशों को रद कर दिया है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेशों के जरिये कैपिटल हिल दंगे के आरोपित अपने 1500 समर्थकों को आम माफी दे दी है। उन्होंने अपने देश को पेरिस जलवायु संधि से अलग कर लिया है। अमेरिका अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का सदस्य भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही अमेरिका में अब जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि इस समय अमेरिका में जन्म लेने वालों को अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है भले ही उनके माता पिता अमेरिकी न हों।

ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर महत्वाकांक्षी पेरिस समझौते से हटने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले कहा, मैं तुरंत पेरिस जलवायु समझौते से हट रहा हूं। इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में जनवरी 2017 में भी अमेरिका पेरिस समझौते से हटा था, लेकिन बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद फिर इसमें शामिल हो गया। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए यह समझौता किया गया है।❑

सोशल मीडिया से निर्णय प्रभावित करने की कोशिश होती है -डी.वाई. चन्द्रचूड़

❍कृतिका ठाकुर, एडवोकेट

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी0वाई0 चन्द्रचूड़ ने इंटरनेट मीडिया में ट्रोलिंग को लेकर न्यायाधीशों को सचेत करते हुए कहा कि विशेष हितधारी समूहों की ओर से मामलों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। आजकल लोग यूट्यूब या किसी अन्य इंटरनेट पर दी जानकारी के आधार पर 20 सेकेंड में राय बनाते हैं, जो बड़ा खतरा है।

इसके अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्ति जजों को राजनीति से दूर रहने का संकेत देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों के राजनीति में जाने पर संविधान या कानून की ओर से कोई पाँबंदी नहीं है। लेकिन वह खुद सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद जजों के राजनीति में जाने से उनके कामकाज और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को लेकर शंका की गुंजाइश होगी।

एक समाचार चौनल के कार्यक्रम में न्यायाधीशों के राजनीति में प्रवेश करने का सवाल पूछे जाने पर पूर्व सीजेआइ चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको जज के रूप में ही देखता है, इसलिए जो चीजें अन्य लोगों के लिए ठीक हैं, वे जजों के लिए पद या कार्यालय छोड़ने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं। मौजूदा जजों को पूर्व जजों से इस विषय में परामर्श करना चाहिए कि उनके लिए क्या करना उचित है। जजों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि सेवानिवृत्त होने पर उनके लिए फैसलों का लोगों पर क्या असर होगा और वह उनके कार्यकाल का कैसे आकलन करेंगे।

न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहुत सारे जागरुक नागरिकों एवं अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों, जजों/ कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति तथा विधि विरूद्ध कार्यों से सम्बंधित सामग्री भेजी है।

जिसका प्रकाशन हम आगामी अंको में इनका वेरिफिकेशन करने के बाद करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि जो भी शिकायत/ सामग्री आप भेज रहे हैं उसका प्रमाण अवश्य भेजें। प्रकाशन सिर्फ सप्रमाण भेजी गयी सामग्रियों का ही होगा।

हमारा उद्देश्य न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करना है न कि किसी को बदनाम करना।

सप्रमाण सामग्री डाक/ईमेल से निम्न पते पर भेजें।

संपादक-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट, 'जजमेण्ट आजतक'

हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677

e-mail : judgementaajtak@gmail.com

WORLD MIRROR

By-Nandini Gupta, Advocate

Elon Musk is trying to Destablise British PM?

Elon Musk the close ally of 2nd term new American president Donald Trump is trying to distabilize U.K. Prime Minister Keir Starmer evene before next general elections.

As per Financial times report the world's richest man Musk has held private discussions with allise about removing prince Minister Keir Starmer frme his position. Musk endorsed a German awti immigration party ahead of election Slated in February & had repeatedly commented on British Policies, demanding Starmer resignation.

He sought information about building support for alternative political movement for force a change in the government and he is weighing how he and his allies can destabilise the present Labour govt. When asked, Musk refused to comment on it but this vew is that Western civilisation itself is threatened Musk earlier accused Prime Minister of what he said was a failure to prosecute gangs of men who raped girls when he was director of public prosecutions. ❑

Indian family in VISA Fraud

After being refused UK visas twice, a Sikh Indian family stands accused of pretending as Afghans fleeing the Taliban-ruled country to enter the UK and falsely claim asylum. The family were initially successful; after landing at Heathrow airport and claiming to be Afghans, they were put up at taxpayer expense at the Holiday Inn hotel in Wembley with other asylumseekers. Recently they moved to a £567,000 fourbedroom detached house in Hemel Hempstead, Hertfordshire. They have now been charged with multiple immigration offences for pretending to be Afg han after home office records showed they made two previous visa applications as Indian nationals using official Indian passports. Both visa applications were refused.

They made their first appearance at Croydon magistrates' court where they were provided with Dari and Punjabi interpreters. The charges state that Gurbakhsh Singh (72), his wife Ardet Kaur (68), their son Gulje et Singh (43) and his wife Kawal jeet Kaur (37), arrived at Heathrow airport and sought to obtain leave to enter the UK "by means including deception, namely claiming asylum as Afghan nationals" when on two previous visa applications they had presented themselves as Indian nationals. Seeking to enter the UK by deceptive means is a breach of the Immigration Act 1971.

They are also charged with making false immigration statements, a breach of the Immigration and Asylum Act 1999. The family pleaded not guilty and have elected trial by jury at Croydon Crown Court. ❑

Harry's Monumental Victory : Lawsuit Settled

Prince Harry claim ed a "monumental" victory ov er Rupert Murdoch's UK newspaper group after the publisher settled his lawsuit, admitting unlawful actions at its Sun tabloid for the first time and paying substantial damages.

Harry 40, had been suing News Group Newspapers (NGN), publisher of the Sun and the nowdefunct News of the World, at the High Court in London, alleging the papers had illegally obtained private information about him from 1996 till 2011. NGN also admitted it had intruded into the private life of Harry's late mother, Princess Diana. Sources familiar with the deal said the settlement totalled more than £10 million, mostly in legal fees.

"In a monumental victory today, News UK have admitted that The Sun,

the flagship title for Rupert Murdoch's UK media empire, has indeed engaged in illegal practices," Harry and his co-claimant Tom Watson said in a statement. "Today the lies are laid bare. Today, the cover ups are exposed. And today proves that no one stands above the law. The time for accountability has arrived," said the statement, read by their lawyer David Sherborne.

The trial to consider Harry's case, and a similar lawsuit from former senior British lawmaker Watson, had been due to start but following lastgasp talks, the two sides reached a settlement, with NGN saying there had been wrongdoing at the Sun, something it had denied for years. Sherborne told the court NGN had offered "a full and unequivocal apology". In a statement, an NGN spokesperson said its apology was for the unlawful actions of private investigators working for the Sun, not of its journalists. ❑

Second UK Minister Resigned

Tulip Siddiq followed Louise Haigh

The resignation of a second British govt minister in two months is a blow to Starmer, whose approval ratings have plunged since his Labour Party won a general election in July. Late last year, transport minister Louise Haigh quit after acknowledging a minor criminal offence before she entered govt.

Tulip Siddiq was handed the portfolio for financial servi ces policy after the election, a role that included responsibility for measures against money laundering. In a statement, Siddiq said although an investigation into her financial affairs found she had not breached the ministerial code of conduct, her position was "likely to be a distraction from the work of the govt". "I have therefore decided to resign from my ministerial position," she said. Starmer swiftly appointed Emma Reynolds, who was a pensions minister, to Siddiq's role.

The British minister responsible for financial services and fighting corruption resigned after weeks of questions over her financial ties to her aunt Sheikh Hasina, ousted last year as PM of Bangladesh.

Tulip Siddiq, 42, had repeatedly denied any wrongdoing and PM Keir Starmer said last week he had full confidence in her.

Siddiq was named in Decas part of Bangladesh's investigation into whether her family were involved in siphoning off funds from Bangladeshi infrastructure projects. The anticorruption commission alleged financial irre-gularities worth billions of dollars in the awarding of a $12.65 billion nuclear power contract, saying Hasina and Siddiq may have benefited. After facing further scrutiny over the use of properties in the UK tied to Hasina and her supporters, Siddiq referred herself to the govt's independent ethics adviser. ❑

मुद्रक: जजमेंट आजतक, 5 पार्क रोड, लखनऊ

कम्पोजिंग एवं पृष्ठ सज्जा : एम.एफ़. आज़म 'फ़ारूक़'

e-mail : judgementaajtak@gmail.com

खबर न्याय अन्याय की...

ज़िद भ्रष्टाचार उजागर करने की...

www.judgementaajtak.com

जजमेंट आजतक

High Courts Holidays

New Year's Day	01 Jan
Makr Sankranti	14 Jan
Republic Day	26 Jan
Basant Panchami	03 Feb
Mahashivratri	13 to 16 Feb
Holi Holidays	13 to 16 Mar
Id-ul-Fitra	31 Mar
Ram Navami	06 Apr
Ambedkar Jayanti	14 Apr
Summer Vacation	01 Jun to 30
Id-ul-Zuha	07 Jun
Moharram	06 July
Raksha Bandhan	09 Aug
Janmashtami	16 Aug
Dashera Holidays	28Sep to 3Oct
Gandhi Jayanti	02 Oct
Deepawali Holidays	19 to 24 Oct
Guru Nanak Janati & Kartik Purnima	05 Nov.
Winter Holidays	22 to 31 Dec

High Courts & Subordinate Courts Holidays

New Year's Day	01 Jan
Makr Sankranti	14 Jan
Republic Day	26 Jan
Basant Panchami	03 Feb
Mahashivratri	13 to 16 Feb
Holi Holidays	13 to 16 Mar
Id-ul-Fitra	31 Mar
Ram Navami	06 Apr
Ambedkar Jayanti	14 Apr
Summer Vacation	01 Jun to 30
Id-ul-Zuha	07 Jun
Moharram	06 July
Raksha Bandhan	09 Aug
Janmashtami	16 Aug
Dashera Holidays	28Sep to 3Oct
Gandhi Jayanti	02 Oct
Deepawali Holidays	19 to 24 Oct
Guru Nanak Janati & Kartik Purnima	05 Nov.
Winter Holidays	22 to 31 Dec

01 January 2025

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

02 February 2025

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

03 March 2025

S	M	T	W	T	F	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

04 April 2025

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

05 May 2025

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

06 June 2025

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

07 July 2025

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

08 August 2025

S	M	T	W	T	F	S
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

09 September 2025

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

10 October 2025

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

11 November 2025

S	M	T	W	T	F	S
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

12 December 2025

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			